(207)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : **एस0एस0 अली**
सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक–1181–दो/2006 विरूद्ध आदेश दिनांक 04–05–2006 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा सम्भाग, रीवा प्रकरण क्रमांक–146/2005–06/अपील

.....

दीनदयाल सिंह पुत्र श्री रामयण सिंह
निवासी–ग्राम सोहास तहसील रघुराजनगर
जिला–सतना

------आवेदक

विरूद्ध

1– श्री रामयण सिंह पुत्र रामदीन सिंह
2– श्री मलखान सिंह
3– श्री साहेबलाल सिंह
4– श्री झाम सिंह
5– श्री लाखन सिंह, पुत्रगण जगदीश सिंह
निवासीगण–ग्राम सोहास तहसील रघुराजनगर
जिला–सतना(म0प्र0)

------अनावेदकगण

.....

श्री एस0के0 अवस्थी, अभिभाषक, आवेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 28-9-17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग द्वारा पारित आदेश दिनांक 04–05–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा ग्राम सोहास स्थित प्रश्नाधीन भूमि खसरा नं0 570 रकबा 0.31 है0 खसरा नं0 859 रकबा 0.05, खसरा नं0 860 रकबा 0.04 है0, खसरा नं0 861 रकबा 0.20 है0 का वसीयत के

आधार पर नामांतरण किये जाने का आवेदन पत्र नायब तहसीलदार वृत्त–सतना(प्रथम) के समक्ष प्रस्तुत की गई। जिस पर अनावेदकगण द्वारा आपत्ति पेश की गई थी । नायब तहसीलदार ने अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत की गई आपत्ति का निराकरण किये जाने के उपरांत दिनांक 04.10.2004 से नामांतरण का आवेदन पत्र अस्वीकार किया । नायब तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो प्रकरण क्रमांक 03/अपील/2004–05 में पर दर्ज होकर पारित आदेश दिनांक 17.10.2005 से अपील निरस्त की गई। अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा अपर आयुक्त रीवा के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई। जहॉ प्रकरण क्रमांक 146/अपील/2005–06 पर पंजीबद्ध किया जाकर दिनांक 04.05.2000 से अपर आयुक्त द्वारा अपील को सारहीन मानते हुये निरस्त किया है। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है। अतः प्रकरण का निराकरण अभिलेखों के आधार पर किया जा रहा है।

4/ अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

5/ आवेदक के अभिषकषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अवलोकन से पाया कि प्रश्नाधीन भूमि के वास्तविक भूमिस्वामी लोलीसिंह थे। लोलीसिंह निःसंतान फौत हो गये थे। लोलीसिंह ने आवेदक के पक्ष में वसीयत किया था और आवेदक ने इसी वसीयत के आधार पर नामांतरण किये जाने हेतु विचारण न्यायालय में आवेदन दिया था, जिस पर अनावेदकगण द्वारा आपत्ति पेश की गई थी। आपत्ति में मुख्य बिन्दु यह उठाया गया था कि वादग्रस्त आराजी शासकीय पट्टेदार के रूप में दर्ज अभिलेख है। वसीयतकर्ता लोलीसिंह ने अपने हक व हिस्से की आराजी बेच दी थी। लोलीसिंह का उक्त विवादित भूमि पर कब्जा था ही नहीं, बल्कि विवादित भूमि गवर्नमेंट लेंसी की थी, जिसे न तो विक्रय किया जा सकता है और न वसीयत की जा सकती है। विवादित आराजियों पर वसीयतकर्ता शासकीय पट्टेदार की

हैसियत से काबिज होकर उपभोग कर रहा था । चूँकि शासकीय पट्टा ग्रहीता को कब्जा करने का स्वत्व धारक को देता है, वसीयत, विक्रय या हस्तांतरण नहीं कर सकता। मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 109 में स्पष्ट प्रावधान है कि मात्र अभिलिखित भूमिस्वामी को ही वसीयत करने का अधिकार है। चूँकि वसीयतकर्ता को भूमिस्वामी के हक प्राप्त नहीं थे और बिना भूमिस्वामी के हक के वसीयत करने की अधिकारिता नहीं है। इसी आधार पर विचारण न्यायालय ने विधिवत कार्यवाही प्रारंभ करते हुये, आपत्ति का निराकरण किये जाने के तत्पश्चात मृतक के निकटम वारिसों के नाम नामांतरण स्वीकार किया है, जिसमें कोई अवैधानिकता प्रकट नहीं होती। अनुविभागीय अधिकारी ने भी विचारण न्यायालय के आदेश को विधिसंगत मानते हुये यथावत रखा है। विचारण न्यायालय तथा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को अपर आयुक्त रीवा ने अपने आदेश में पूर्ण विवेचना कर उचित माना है। अतः तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष होने से उसमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक के द्वारा प्रस्तुत की गई निगरानी निरस्त की जाती है ।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश
ग्वालियर,